न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 97/2017 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 04.12.2017

श्री प्रहलाद पिता नारायण लाल जाति अहीर निवासी आलोद तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री विष्णुप्रकाश पिता नारायण लाल जाति अहीर निवासी आलोद तहसील डूंगला, जिला चित्तौड़गढ़
2–उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

.....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 237 रा. का. अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा बमिसल क्रमांक 21/2015 वाद तारीख पेशी 27.11.2017

उपस्थितिः– 1– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री सावन श्रीमाली, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला में विपक्षी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला में विचाराधीन था इसी दरमियान प्रार्थी को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास होने से प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में मुन्तकील किया गया जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में विचाराधीन है जिसे पुनः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला में स्थानान्तरण कराने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को आवेदन की प्रति प्रेषित कर कमेन्ट्स प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया एवं विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से कमेन्ट्स प्राप्त हुए। विपक्षी की ओर से अधिवक्ता श्री सावन श्रीमाली ने अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया। बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला में विपक्षी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत किया था जो कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला में विचाराधीन था इसी दरमियान प्रार्थी को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी पर अविश्वास होने से प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दोनो पक्षों की सुनवाई के बाद प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में न्यायालय हाजा द्वारा स्थानान्तरण किया गया जो वर्तमान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा में विचाराधीन है। उक्त वादपत्र स्थानान्तरण होकर उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेड़ा में जाने के पश्चात से आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। प्रार्थी एवं विपक्षी मूलतः आलोद तहसील डूंगला के निवासी है व डूंगला से मात्र 10 कि.मी. की दूरी पर निवास करते हैं जबकि उपखण्ड न्यायालय निम्बाहेड़ा प्रार्थी के गांव से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है जिससे प्रार्थी व विपक्षी को आने-जाने मे भारी दिक्कत रहती है वर्तमान में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी डूंगला का स्थानान्तरण हो चुका है तथा प्रोपर न्यायालय की स्थितियां बदल चुकी है। अतः पुनः प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डूंगला में स्थानान्तरण कराने का श्रम करावें।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने कमेन्ट्स में अंकन किया कि पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 24.03.2015 को प्राप्त हुई तथा दिनांक 08.04.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण मे कार्यवाही चल रही है प्रकरण में 20 बार सुनवाई हेतु तारीख नियत की गई है वर्तमान में प्रकरण जवाब प्रार्थना पत्र हेतु नियत है। यदि प्रकरण को इस न्यायालय से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगला को स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हें काई आपत्ति नहीं होना बाताया।

अधिवक्ता विपक्षी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी प्रहलाद के ससुर श्री माधवलाल जी लैण्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर डूंगला के पद पर स्थापित रहे हैं और उन्होने अपने पद का दुरूपयोग कर कार्यवाही को बाधित किया है। वर्तमान पीठासीन अधिकारी, डूंगला पूर्व में श्री माधवलाल जी के समय तहसील डूंगला में नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार पद पर पदस्थापित रहे हैं जिससे वे पुनः प्रकरण में कार्यवाही बाधित करा सकते हैं। पूर्व परिस्थितियों एवं वर्तमान परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकरण में निष्पक्ष न्याय होना आवश्यक है। यदि प्रार्थी को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी पडती है तो मुझे भी उतनी ही दूरी तय करनी पडती है। प्रार्थी मात्र प्रकरण में विलम्ब करने के उद्धेश्य से प्रकरण को स्थानान्तरण कराने

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है जो स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली, विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा से प्राप्त कमेन्ट्स का गहनता से अवलोकन कर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। चूंकि पूर्व में प्रार्थी के ही आवेदन पर प्रार्थी को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी, डूंगला से न्याय नहीं मिलने की उम्मीद का निवेदन करने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां स्थानान्तरित किया गया था। वर्तमान में विपक्षी ने प्रार्थी के ससुर श्री माधवलाल जो की वर्तमान पीठासीन अधिकारी के अधीनस्थ रह चुके होने का कथन कर प्रकरण को प्रभावित करने की सम्भावना व्यक्त की है।

जहां तक प्रार्थी के डूंगला से निम्बाहेड़ा तक 40 किलोमीटर की दूरी तय कर जाने का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे की विपक्षी भी ग्राम आलोद तहसील डूंगला का ही निवासी होकर उसे भी 40 किलोमीटर की दूरी ही तय करनी पडती है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिया है जिससे प्रकरण को पुनः न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, डूंगला के यहां स्थानान्तरण करने की आवश्यकता महसूस होती हो, बल्कि प्रकरण को बार-बार स्थानान्तरण करने से उसकी वरियता समाप्त होकर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब ही होगा। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय : जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official